संख्या-95/2018/3348/सैंतीस-2-2018-1(22)/10टीसी।।

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-23 अक्टूबर, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (60 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-88/एन.एल.एम./रूरल बैकयार्ड/2018-19, दिनांक-13.09.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/पुनर्वेधीकृत किये गये केन्द्रांश रू0-565.911 लाख में राज्यांश रू0-377.274 लाख की धनराशि सम्मिलित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0105-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के मानक मद 27-सब्सिडी में मूल एवं अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित कुल धनराशि रू0-943.19 लाख (रूपये नौ करोड़ तैंतालिस लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता विषयक संगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लाभार्थी को धनराशि उसके बैंक खाते में ही उपलब्ध करायी जायेगी। किसी भी दशा में धनराशि का नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(5) यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक-24.04.2018 तथा शासनादेश सं0-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0105-रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-746/दस-2018, दिनांक-16.10.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-95/2018/3348(1)/सैंतीस-2-2018- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव (एपीएफ)/संयुक्त आयुक्त (पोल्ट्री), पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।